

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-155 / 07**  
**संस्थापित दिनांक-27.04.2007**  
**Filing num. 235103000102007**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- मुकेश पुत्र रामनारायण उम्र 38 साल निवासी-ग्राम थनवारा थाना जखौरा जिला ललितपुर उ0प्र0, हाल निवासी- शिवनगर वासोदा जिला विदिशा म0प्र0 .....आरोपी

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक ..... को घोषित)**

**01.** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 18.01.2007 को 10:35 बजे पूर्व तरफ राजघाट सनोचरी नाला के पास से 15 किलो मीटर पर सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में एक देशी रिवाल्वर 6 राउन्ड नाल, 32 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस 32 बोर का अवैध रूप से धारा आयुध अधिनियम 3 के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखे पाया गया ।

**02.** संक्षिप्त अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता कमलेश शर्मा दिनांक 18.01.2007 को चौकी राजघाट चन्देरी में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सनीचरा नाले के पास एक आदमी रिवाल्वर लेकर घूम रहा है। मुखबीर की सूचना पर वह आरक्षक धर्मेन्द्र पलिया व ब्रजेश तथा गवाह नन्दराम को साथ लेकर बताये स्थान पर गये तो आरोपी मुकेश पुरोहित मिला, उसे पकड़ा तलाशी लेने पर पेंट के नीचे कमर में रिवाल्वर मिली और एक जिन्दा कारतूस मिला। आरोपी मुकेश से रिवाल्वर रखने का लाइसेंस होना पूछा तो उसने नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25-27 आर्म्स ऐक्ट का पाये जाने पर रिवाल्वर 32 बोर का देशी व एक कारतूस साक्षी धर्मेन्द्र पलिया व नन्दराम के समक्ष जप्ती पंचनामा तैयार कर जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये । अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

**03.** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 (1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित किया गया, अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर विचारण का दावा किया। अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया एवं बचाव में मुकेश, रंधीर, जयराम, रामदयाल के कथन कराये।

**04.** न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.01.2007 को 10:35 बजे पूर्व तरफ राजघाट सनोचरी नाला के पास से 15 किलोमीटर पर सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुज्ञप्ति के अपने कब्जे में एक देशी रिवाल्वर 6 राउन्ड नाल, 32 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस 32 बोर का अवैध रूप से धारा आयुध अधिनियम के उल्लंघन में अपने कब्जे में रखे पाये गये ?
----	--

### साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

**05.** साक्षी धर्मेन्द्र पलिया अ0सा01 उसके कथनों में व्यक्त करता है कि वह आरोपी मुकेश पुरोहित को नहीं जानता है पर सामने आने पर पहचान सकता है। उक्त साक्षी द्वारा उसके शेष मुख्य परीक्षण में आरोपी मुकेश के न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे पहचानना व्यक्त किया। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना वर्ष 2007 की होकर राजघाट चौकी की है। एसआई शर्मा, राजेश यादव, नन्दराम उसके साथ में थे। एसआई शर्मा को सूचना मिली थी कि नाले के पास कोई व्यक्ति कट्टा लेकर रुक रहा है तो नन्दराम और ब्रजेश को नाले के पास पहुँचाया था और उक्त लोगो से तस्दीक कराई थी फिर एसआई और उक्त साक्षी ने नाले के पास पहुँचे वहाँ आरोपी मुकेश खड़ा हुआ था जिसकी तलाशी ली तो देशी कट्टा मिला था, इसके बाद एसआई शर्मा ने चौकी पर आकर जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। जप्ती पंचनामा प्र.पी.1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने बताया कि जप्ती की कार्यवाही चौकी पर की थी और घटना के संबंध में उससे किसी ने कोई पूछताछ नहीं की थी।

**06.** जप्ती और गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी नन्दराम लोधी अ0सा03 ने आरोपी मुकेश को पहचानने से इंकार किया तथा उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि पुलिस ने आरोपी मुकेश से न तो कभी कोई चीज जप्त की और न ही उसे गिरफ्तार किया। परन्तु उसने जप्ती पंचनामा प्र.पी.1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 2 के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने पुलिस कथन प्र.पी.4 का ए से ए भाग बताया कि ..... थाने लेकर गये को देने से इंकार किया। उक्त साक्षी ने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने प्र.पी.1 एवं 2 पर ग्राम प्राणपुर में हस्ताक्षर कराना व्यक्त किया तथा उक्त

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था।

**07.** ब्रजेश यादव अ0सा04 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 5-6 साल पहले राजघाट चौकी चंदेरी में आरक्षक के पद पर पदस्थ था और एएसआई कमलेश शर्मा जिनकी मृत्यु हो गई है उन्होंने उक्त साक्षी को चौकी पर बुलाया था और उससे कहा था कि उन्होंने किसी व्यक्ति से कट्टा पकड़ा है। कमलेश शर्मा ने एक व्यक्ति से कट्टा देशी जप्त किया था जिसे उन्होंने जप्त कर गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद एएसआई कमलेश शर्मा उक्त व्यक्ति को चंदेरी थाने ले गये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी ब्रजेश यादव से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने सम्पूर्ण घटना क्रम को स्वीकार किया तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि जप्तशुदा कट्टे को थाने पर सील किया था। प्रतिपरीक्षण में आगे उक्त साक्षी ने बताया कि एएसआई कमलेश शर्मा ने आरोपी को पहले गिरफ्तार किया था उसके बाद जप्ती की थी तथा बचाव पक्ष के इस सूझाब को स्वीकार किया कि रिवाल्वर और कट्टा के कारतूश अलग अलग होते हैं तथा साक्षी के समक्ष रिवाल्वर जप्त नहीं हुई थी। साक्षी ने स्वतः कहा कट्टा जप्त हुआ था।

**08.** प्रकरण में घटना की सम्पूर्ण कार्यवाही करने वाले एवं विवेचना अधिकारी कमलेश शर्मा की प्रकरण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाने से उनकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से परिचित साक्षी ब्रजेश यादव का परीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि प्र.पी. 1 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी. 2 के गिरफ्तारी पंचनामे के सी से सी भाग पर एएसआई कमलेश शर्मा के हस्ताक्षर हैं एवं उन्हीं की हस्तलिपि है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 6 कमलेश शर्मा की हस्तलिपि में है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षीगण के कथन में मृतक कमलेश शर्मा की हस्तलिपि में है और उनके हस्ताक्षर हैं। प्र.पी. 7 सान्हा की सत्यप्रतिलिपि एएसआई कमलेश शर्मा की हस्तलिपि में है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**09.** मनोहर दुबे अ0सा05 ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि वह दिनांक 13.04.2007 को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय अशोकनगर में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। थाना चंदेरी के अ0क्र0 24/07 की केस डायरी अभियुक्त मुकेश के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता के समक्ष मय आयुध के प्रस्तुत की गई थी, जिसपर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी ने केस डायरी के अवलोकन पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु आदेश टंकित किये जाने हेतु उसे निर्देशित किया गया था और तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के आदेश से उसके द्वारा आदेश टंकित किया गया था जो प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मुकेश गुप्ता के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि यह बात सही है कि उक्त आदेश में आयुध सील बंद आने का उल्लेख नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख है कि केस डायरी और आयुध कौन लेकर आया था और आदेश उपरांत किसको सुपुर्द किया था।

**10.** प्रेमसिंह यादव अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह दिनांक 06.03.07 को पुलिस लाईन अशोकनगर में प्रधान आरक्षक आर्म्स मोहरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अ0क0 24/07 धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जप्तशुदा रिवाल्वर में जांच उसके द्वारा की गई थी। रिवाल्वर हाथ का बना .32 इंच बोर का रिवाल्वर जिसकी लम्बाई 8 इंच, बैरल की लम्बाई 3 इंच, बट ग्रीप लकड़ी का स्कूर के साथ कसा था, रिवाल्वर चालू हालत में नहीं था। उक्त रिवाल्वर को जांच हेतु आरक्षक 254 अनिल कदम लेकर आया था तथा रिवाल्वर जांच हेतु बगैर सीलड किये हुए सफेद कपड़े की थैली में बंद प्राप्त हुआ था जो जांच बाद उक्त साक्षी द्वारा सीलड कर वापस किया गया था। प्रेमसिंह यादव अ0सा02 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया कि वह नहीं बता सकता कि जप्तशुदा आयुध उसे किस तारीख को प्राप्त हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में उक्त साक्षी ने बताया कि उसने रिवाल्वर जो चलाकर नहीं देखा था तकनीकी रूप से देखा था जो चलने लायक नहीं था। साक्षी ने बताया कि उसने केन्द्रीय पुलिस आर्म्स वर्क्स शॉप भोपाल से आर्म्स मोहरर का कोर्स वर्ष 1998 में प्राप्त किया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी से यह पूछे जाने पर कि जब रिवाल्वर सीलड नहीं थी तो आपने जांच क्यों की, तो साक्षी का कहना है कि जांच हेतु आई थी और उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से जांच की गई थी।

**11.** प्रकरण में विवेचना अधिकारी एसआई कमलेश शर्मा की मृत्यु हो जाने से उसके मूल कथनों का अभाव है। किन्तु जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी धर्मेन्द्र पलिया अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी से देशी कट्टा मिलना व्यक्त किया और उक्त साक्षी ने बताया कि एसआई कमलेश शर्मा ने आरोपी से चौकी पर आकर जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। जबकि जप्ती एवं गिरफ्तारी के स्वतंत्र साक्षी नन्दराम लोधी ने जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 1 एवं 2 पर केवल हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है और इस बात से स्पष्ट इंकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई चीज जप्त की थी और उसे गिरफ्तार किया था। अन्य अभियोजन साक्षी ब्रजेश यादव अ0सा04 ने उसके प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया कि आरोपी से कट्टा मिला था और जप्तशुदा कट्टे को थाने पर सीलड किया था।

**12—** इस प्रकार अभियोजन साक्षी आरक्षक धर्मेन्द्र पलिया अ0सा01, ब्रजेश यादव प्रधान आरक्षक अ0सा04 ने आरोपी मुकेश से कट्टे को थाने पर जप्त करना एवं सीलड करना व्यक्त किया। जबकि प्रेमसिंह यादव अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि जो रिवाल्वर उसे जांच हेतु प्राप्त हुआ था वह बगैर सीलड किये हुए सफेद कपड़े की थैली में बंद प्राप्त हुआ था। मनोहर दुबे अ0सा05 ने उसके प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया कि यह बात सही है कि प्र.पी.5 के आदेश में आयुध सील बंद आने का उल्लेख नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख है कि केस डायरी और आयुध कौन लेकर आया था और आदेश उपरांत किसको सुपुर्द की गई थी।

**13—** इस प्रकार निर्विवादित रूप से प्रकरण में जप्तशुदा आयुध को सील बंद किये

जाने को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास है। घटना की कार्यवाही में शामिल आरक्षक धर्मेन्द्र पलिया अ0सा01 एवं प्रधान आरक्षक ब्रजेश यादव ने जप्तशुदा कट्टे को थाने पर एसआई कमलेश शर्मा द्वारा सील किया जाना व्यक्त किया है। जबकि जप्ती के स्वतंत्र साक्षी नन्दराम अ0सा03 ने घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार जप्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। **न्यायदृष्टांत पप्पे उर्फ सुखविंदरसिंह वि० म०प्र०राज्य 2007(3) एम.पी. वीकली नोट56** में यह अभिमत दिया गया है कि यदि स्वतंत्र साक्षीगण ज्ञापन अभिग्रहण ज्ञापन एवं वस्तु का सीलबंद किया जाना साबित नहीं है, तब अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

**14.** आरक्षक धर्मेन्द्र पलिया अ0सा01 एवं प्रधान आरक्षक ब्रजेश यादव अ0सा04 ने घटना में कट्टा जप्त होने की बात बताई है जबकि जप्तशुदा हथियार की जांच करने वाले एसआई प्रेमसिंह यादव ने घटना में जप्तशुदा रिवाल्वर की जांच की जाना व्यक्त की है। इस प्रकार साक्षीगण के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है कि प्रकरण में आरोपी से कट्टा जप्त किया था अथवा रिवाल्वर। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि जप्तशुदा रिवाल्वर एवं कारतूश को मौके पर सील किया जाना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है और अभियोजन साक्षी धर्मेन्द्र पलिया के अनुसार जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही चौकी पर किया जाना व्यक्त किया एवं साक्षी ब्रजेश यादव अ0सा04 के द्वारा जप्तशुदा आयुध को थाने पर सील किया जाना व्यक्त किया है। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में जप्तशुदा आयुध एवं जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं संदेह परिलक्षित होता है। बचाव साक्ष्य में बचाव साक्षी मुकेश पुरोहित, रधीर, जयराम, रामदयाल ने उनके मुख्य परीक्षण में बताया कि जब वे धनवारा गाँव से वासौदा जा रहे थे तो राजघाट चौकी पर पुलिस ने बैरियर लगाकर गाड़ी रोक दी थी और एन्ट्री के पैसे मांगे और पुलिस को 50/- रुपये एंट्री शुल्क दिया तो पुलिस ने 500/- रुपये की मांग की थी और रुपये न देने के बजह से ही मुझे “मुकेश पुरोहित” को 2-3 घंटे चौकी पर बैठाया और चंदेरी लाकर थाने पर बंद किया। बचाव साक्षीगण की साक्ष्य से भी सम्पूर्ण घटना क्रम संदेहास्पद दर्शित होता है।

**15.** इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जप्तशुदा आयुध एवं कारतूश को न्यायालय में प्रस्तुत कर किसी भी साक्षीगण से प्रमाणित नहीं कराया गया है। तब ऐसी दशा में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी से वही कट्टा एवं कारतूश जप्त किये गये थे जो जांच हेतु एसआई प्रेमसिंह यादव अ0सा02 को भेजे गये थे। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत कालेबाबू विरुद्ध म०प्र०राज्य 2008(4) एम.पी.एच.टी-397** अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि जप्त आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कहानी उसके महत्व को खो देती है और आरोपी दोषमुक्त का हकदार होता है।

**16.** उपरोक्त विवेचना के आलोक में आरक्षक धर्मेन्द्र पलिया अ0सा01 प्रधान आरक्षक ब्रजेश यादव अ0सा04, के द्वारा आरोपी से एक कट्टा जप्त किया जाना

व्यक्त किया, जबकि प्रकरण में जप्तशुदा आयुध की जांच करने वाले एएसआई प्रेमसिंह यादव अ0सा02 द्वारा रिवाल्वर की जांच हेतु प्राप्त होना एवं उक्त रिवाल्वर चालू हालत में नहीं होना पाया जाना व्यक्त किया एवं साक्षी धर्मेन्द्र पलिया अ0सा01 साक्षी ब्रजेश यादव अ0सा04 ने उनके न्यायालयीन कथनों में जप्ती की कार्यवाही थाने पर किया जाना एवं थाने पर ही जप्तशुदा आयुध को सील्ड किया जाना व्यक्त किया एवं विवेचना अधिकारी एएसआई कमलेश शर्मा की मृत्यू हो जाने से उनके कथनों में अभाव में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रही हैं। अतः अभियुक्त मुकेश पुत्र रामनारायण उम्र 38 साल निवासी—ग्राम थनवारा थाना जखौरा जिला ललितपुर उ0प्र0, हाल निवासी— शिवनगर वासोदा जिला विदिशा म0प्र0 को धारा 25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**17—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**18—** प्रकरण जप्तशुदा देशी रिवाल्वर 6 राउन्ड की एवं एक कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट अशोकनगर को निराकरण के लिये भेजी जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार माल का निराकरण किया जावे।

**19—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0